



# जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

रामकिशोर व्यास भवन, इन्दिरा सर्किल, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर-302004

## आम सूचना

क्रमांक: F-JDA/Zone 05/2026/D-94

आवेदक द्वारा ऑनलाईन आवेदन क्रमांक 277369 दिनांक 12/01/2026 को निम्नांकित भूखण्ड का Name Transfer जारी करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किये गये है



## जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

रामकिशोर व्यास भवन, इन्दिरा सर्किल, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर-302004

क्र.सं.	आवेदक का नाम	मूल आवंटी/ लीजधारक का नाम	भूखण्ड संख्या	भूखण्ड क्षेत्रफल	गृ.नि.स.स./ निजी खातेदारी/ जविप्रा योजना	योजना का नाम	सेवा जिसके लिए आवेदन किया गया	कार्यवाही हेतु प्रस्तुत दस्तावेज
1	Puneet Gupta S/o UPENDRA VIJAY GUPTA	श्री नरेंद्र विजय गुप्ता पुत्र श्री स्व. दामोदर प्रसाद गुप्ता	140	88.88 SQ. METER	JDA	NEW AATISH MARKET Sector/Block-	Name Transfer	मृत्यु प्रमाण पत्र के अनुसार श्री नरेंद्र विजय गुप्ता पुत्र श्री स्व. दामोदर प्रसाद गुप्ता की मृत्यु दिनांक 04.05.2021 को हो चुकी है तथा श्री मति भंवरदेवी गुप्ता पत्नी श्री नरेंद्र विजय गुप्ता की मृत्यु 22.12.2025 को हो चुकी है। आवेदक द्वारा अपलोड अपंजीकृत वसीयत दिनांक 05.01.2013 के अनुसार श्री नरेंद्र विजय गुप्ता पुत्र श्री स्व. दामोदर प्रसाद ने उक्त भूखंड बाबत अपनी पत्नी श्री मति भंवरदेवी गुप्ता के पक्ष में तथा अपनी पत्नी श्री मति भंवरदेवी गुप्ता की मृत्यु पश्चात अपने पुत्र श्री पुनीत गुप्ता पुत्र श्री उपेन्द्र विजय गुप्ता के पक्ष में वसीयतनामा निष्पादित किया है।



## जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

रामकिशोर व्यास भवन, इन्दिरा सर्किल, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर-302004

उक्त भूखण्ड का आवेदक के पक्ष में Name Transfer जारी करने पर किसी व्यक्ति, वारिस एवं संस्था को आपत्ति हो तो मय साक्ष्य के इस सूचना की प्रकाशन तिथि से 7 दिवस के भीतर [jda.rajasthan.gov.in](http://jda.rajasthan.gov.in) पर जाकर Objection module के माध्यम से आपत्ति online सबमिट करें, अन्यथा आपत्ति प्रस्तुत नहीं करने की दशा में उक्त भूखण्ड की नियमानुसार कार्यवाही कर दी जावेगी।

प्रतिलिपि:-

1. Puneet Gupta S/o UPENDRA VIJAY GUPTA को उक्त विज्ञप्ति 8 फोन्ट साईज में राज्य स्तरीय समाचार पत्र में से एक समाचार पत्र में विज्ञप्ति प्रकाशित करवाकर प्रति अपलोड करें।
2. रक्षित पत्रावली।

नोट :-

कृपया उक्त विज्ञप्ति के प्रारूप का राज्य स्तरीय समाचार-पत्र (प्रतिदिन प्रकाशन न्यूनतम 50,000 प्रतियाँ) में प्रकाशन करावे | प्रकाशन दिनांक से 7 दिवस पचशत समाचार-पत्र के जिस पेज पर विज्ञप्ति प्रकाशित हुयी हैं, उस पूरे पेज की स्पष्ट स्कैन प्रति, जिसमे प्रकाशन की तारीख, समाचार-पत्र का नाम, पेज संख्या व विज्ञप्ति दिखाई दे, ऑनलाइन अपलोड करें तथा समाचार-पत्र की भौतिक (physical) प्रति कार्यालय मे प्रस्तुत ना करें |